न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 05 / 17 दायरा दिनांक 15.06.2017
आर.सी.एम.एस. नं. — 2017 / 00059

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. पप्पूलाल उर्फ लटरू पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राधेश्याम पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
3. शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति तमोली निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां
4. कालू पुत्र सुखलाल जाति गुर्जर निवासी रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां।
5. भारत पुत्र बजरंगलाल जाति माली निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां।
6. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां।
7. राधेश्याम पुत्र रघुनाथ जाति माली निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कालूलाल पुत्र नाराण जाति बैरवा निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां राज.
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां — अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. अभिभाषक प्रार्थीगण :— श्री घनश्याम गर्ग।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण :— श्री राधाबल्लभ नागर।

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1981 केम्प रामगढ़ तहसील किशनगंज अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू. राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू का आवंटन नियम 1970 रकबा 2.09 बीघा

निर्णय दिनांक 30/8/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू. —राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया।कालूलाल पुत्र नाराण जाति बैरवा निवासी रामगढ़ तहसील किशनगंज के हक में दिनांक 16.06.1981 को आवंटन कमेटी मुकाम रामगढ़ की आराजी ख. नं. 297 रकबा 7.08 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। जो खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भरा गया आवेदन फार्म नं. 3 अपूर्ण था उन फार्म के पृष्ठ संख्या 2 पर अंगूठा निशानी अथवा हस्ताक्षर एवं स्थान व दिनांक अंकित नहीं किया गया। न ही खसरा नम्बर व रकबा दर्ज किया गया। इस प्रकार अपूर्ण फार्म पर किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वक्त आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण नही था एम.एल.ए.,प्रधान, सहवृत सदस्य वक्त आवंटन उपस्थित नहीं थे। मात्र सरपंच जन प्रतिनिधि की हैसियत से उपस्थित थे इस कारण अपूर्ण कोरम में किया आवंटन निरस्त फरमाये जाने योग्य है। वक्त आवंटन आराजी खसरा नम्बर 297 पर प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासियों के मकानार्थ बने हुये थे तथा देव स्थान तेजाजी महाराज का चबूतरा, सती माता की छतरी, हनुमान जी मन्दिर, श्याम बाबा का चबूतरा एवं पटवा समाज की 3–4 समाधियां बनी हुई थी तथा बाद में इसी आराजी में मवेशी हॉस्पीटल का निर्माणहो चुका है। तथा देव नारायण भगवान का देव स्थान भी बना हुआ है जहां पूजा अर्चना की जाती है एवं गांव में आने जाने का खंरजा/आम रास्ता बना हुआ है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। उसके द्वारा काश्त नहीं की गई है न कब्जा लिया गया है। तथा वक्त आवंटन आराजी खाली नही होने एवं अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने एवं सार्वजनिक उपयोग–उपभोग व देव स्थान के उपयोग की भूमि होने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थी कालूलाल पुत्र नाराण जाति बैरवा निवासी रामगढ़ को ग्राम रामगढ़ की खसरा नम्बर 297 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि दिनांक 16.06. 1981 को आवंटन हुई। नियमों के तहत यह है, प्रथम वर्ष आधी द्वितीय वर्ष में आधी कुल तीन वर्ष में पूरी काश्त करनी है। काश्त नहीं करने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। नकल खसरा (गिरदावरी) सम्वत् 2070 से 2073 पटवारी से 12.06.2017 को ली है जो पेश की है। चारो साल में पडत बता रखा है। आदेश की प्रति व जमाबन्दी पेश की है। आवंटन आदेश की प्रति व जमाबन्दी पेश की है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम अपूर्ण था एम.एल.ए, प्रधान व सहर्वत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। दो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। निर्वाचित जन प्रतिनिधी दो होना आवश्यक है केवल सरपंच था व तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी थे। प्रधान, एम.एल.ए. सहवर्त सदस्य नहीं थे। यदि पुराने कब्जे के आधार पर करते ऐसा भी पत्रावली में नहीं है कौनसी भूमि आवंटन कराना चाहता है। आवंटन में अंकित नहीं है आवंटन के समय भूमि खाली नही थी सार्वजनिक उपयोग में आती थी। यह भूमि ख.नं. उद्घोषणा की सूची में नहीं थी। इसके मकान बने हुये थे सार्वजनिक काम में आती थी। उक्त स्थान पर तेजाजी महाराज का चबूतरा, सीतामाता की छतरी, हनुमान का चबूतरा देवस्थान पटवा समाज समाधियां, मवेशी अस्पताल, देवनारायण भगवान का देवस्थान भी है। शेष पर प्रार्थीगण के पुराने मकान बाडे बने हुये है। इस बात की पुष्टि पटवारी रामगढ़ की रिपोर्ट जो धारा 183(बी) की पत्रावली में पेश की थी उससे पुष्टि होती है। मौका रिपोर्ट 13.01.2019 की छाया प्रति संलग्न है।

इन्होनें हमारे खिलाफ धारा 183(बी) की कार्यवाही पेश की है जो 40 साल बाद पेश की है। इसका जबाब हमने दे दिया है जिसमें मौका रिपोर्ट भी पेश की है। इससे प्रमाणित है कि अप्रार्थी आवंटी का उक्त आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं रहा। इसका प्रमाण खसरा गिरदावरी की

नकल से भी साबित होता है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने की पुष्टि मौका रिपोर्ट पटवारी से होती है। नक्शे में तरमीम भी नहीं है। इस सब कारणों से उक्त आवंटित भेमि का आवंटन निरस्त कर सिवायक घोषित कर सार्वजनिक उपयोग में लेने हेतु तहसीलदार, एस.डी.ओ. को निर्देश फरमावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से कथन किया कि प्रार्थना पत्र का कोई वैधानिक आधार नहीं है। बहस में प्रार्थी ने कथन किया कि कोरम पूर्ण नहीं है। जबकि एक निर्वाचित जनप्रतिनि सरपंच एवं एस.डी.एम. व तहसीलदार मौजूद थे। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070 से 2072 में काश्त दर्ज नहीं होने को कोई अन्य कारण हो सकता है। जबकि उक्त आवंटित भूमि पर मुझ आवंटी का लगातार कब्जा है। मैं उस.सी. व्यक्ति हूँ यह सब अन्य सवर्ण समाज के हैं। जिस भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताई है। वह मेरी भूमि कके अलावा शेष 5 बिस्वा भूमि में है। मेरी भूमि मे सार्वजनिक स्थान नहीं है। मै खातेदार हूँ। नियमानुसार आवंटन शर्तो की पालना करने से खातेदारी मिली है। मै काश्त कर रहा था तो इन्होंने मेरी भूमि पर अतिक्रमण किया इसलिए हमने धारा 183(बी) की कार्यवाही की। इससे व्यथित होकर इन्होंने यह 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी की ओर से पुनः कथन किया कि ख.नं. 297 में 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी, लेकिन इन्तकाल 7 बीघा 8 बिस्वा का ही खुला था। शेष 5 बिस्वा भूमि को सिवायक रखा गया। आवंटन व खाते में दर्ज भूमि में अन्तर है।

बहस उभय पक्ष सुनने के पश्चात् पाया गया कि अप्रार्थी आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। 14(4) का प्रार्थना पत्र लगभग 36 वर्ष बादक्यों पेश किया गया, इसका कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। आवंटन में किसी प्रकार अनियमितता हो यह भी साबित नहीं होता है। खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् बिना किसी ठोस आधार के आवंटन निरस्त किया जाना विधी सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.05 15:36:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: